

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कुण्डरी

बनाम

अप्रार्थी - लच्छुराम/नाथूराम निवासी कुण्डरी अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 118 / 2018

निर्णय दिनांक 14.12.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुण्डरी ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2025 में सरहद कुण्डरी के खसरा नम्बर 415 में किरम 3.3 मेंसे रकबा 1.13 हेक्ट. भूमि में 0.15 ए. से. लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर बाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्तु में जह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी लच्छुराम से नोटिस तामीन होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री. ने दिनांक को उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम कुण्डरी खसरा नम्बर 415 में किरम 3.3 मेंसे रकबा 1.13 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमण घोंपित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बंदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 3/- रुपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमण रकबा 1.13 हेक्ट.भूमि के 3.39 रुपये लगान का 50 गुणा 170/- अक्षर एडजुस्टमेंट रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को बतमश मांग काशगी व बसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी का मौके से बंदखल रूप से बंदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 14.12.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर